न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड
पीठासीन अधिकारी–सिद्धार्थ पालानीचामी, आई0ए0एस0

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्रीदिनेशकुमार पुत्र श्री राम अवतार अग्रवाल निवासी आबूरोड		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41 **/2023**

दिनांकः– 04-10-2023

आदेश

यह कि अप्रार्थी तहसीलदार आबूरोड की ओर से रिपोर्ट अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136 एल आर एक्ट के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया किः– ग्राम चन्द्रावती के जमाबंदी संवत् 2051–54 के खाता संख्या 90 खातेदार श्रीमती संगीता तंवर पत्नि श्री सोहन लाल तंवर खसरा संख्या 414 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा में से प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 414/2 रकबा 16 बिस्वा जरिये बेचान क्रय की जिसका नामान्तरकरण संख्या 409 है। यह कि ग्राम चन्द्रावती की जमाबंदी संवत् 2055–58 के खाता संख्या 64 खसरा संख्या 419/2 रकबा 16 बिस्वा खातेदार श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री राम अवतार जाति अग्रवाल निवासी आबूरोड के नाम दर्ज हो गया है। उक्त खाते में नामान्तरकरण संख्या 409 के द्वारा नया खाता सृजित हुआ है। जिसमें जमाबंदी लिखते वक्त खसरा संख्या 414/2 रकबा 16 बिस्वा की बजाय त्रुटिवश 419/2 रकबा 16 बिस्वा दर्ज हो गया है, जोकि गलत अंकित हुआ है। जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या 88 में खसरा संख्या 419/2 रकबा 16 बिस्वा अर्थात् 0.2023 हैक्टर उक्त प्रार्थी के नाम दर्ज है। यह कि वक्त सेग्रीगेशन के वन–टू–वन मैपिंग में नक्शे मे भी 414/2 के बजाय 419/2 अंकित हो गया है। जिसे शुद्ध कर ग्राम चन्द्रावती के वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शे में खसरा संख्या 419/2 के स्थान पर 414/2 करवाने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार आबूरोड के उपरोक्तानुसार निवेदन को स्वीकार कर ग्राम चन्द्रावती पटवार हल्का मावल के राजस्व रेकर्ड मे खसरा संख्या 419/2 के स्थान पर खसरा संख्या 414/2 संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)